राजस्थान–सरकार

न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

राजस्व मूल वाद संख्या–18/2018

दायरा तारीख – 27.04.2018

तारीख निर्णय– ...6.7.2023...

वादी :–

मांगीलाल पुत्र सालगरामजी जाति–वैष्णव (साद) निवासी–नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली

विरूद्ध

प्रतिवादीगण :–

1. रामाराम पुत्र मालाजी
2. केसा पुत्र चेला
3. सूजा पुत्र वनाजी
4. धापू पत्नी वनाजी
5. पेमाराम पुत्र कानाजी
   जातिगण–जणवा चौधरी निवासी नारलाई
6. मोहनलाल पुत्र कूपाजी
7. सायरी पत्नी भंवरलालजी
8. मुकेश पुत्र भंवरलालजी
9. नीतु पुत्री भंवरलालजी
10. सविता उर्फ सतु पुत्री भंवरलालजी
11. जगदीश कुमार पुत्र कूपाजी
12. मांगीलाल पुत्र शंकरलालजी
    जातिगण कुम्हार निवासीगण नारलाई
13. हकाराम पुत्र मालाजी
14. मृत हीराराम पुत्र मालाजी के वारिसान
    14/1– गजरो पत्नी स्व. हीरारामजी
    14/2– मीठालाल पुत्र स्व. हीरारामजी
    14/3– असकी पुत्री स्व. हीरारामजी
    14/4– पोनकी पुत्री स्व. हीरारामजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

15. लादाराम पुत्र मालाजी
16. मगाराम पुत्र उदाजी
17. चेनाराम पुत्र उदाजी
18. खरताराम पुत्र उदाजी
19. मृत चेनकी पुत्री सकाजी के वारिसान
    19/1– फुई पुत्री चेनकी पत्नी भगारामजी
20. केसरी पुत्री सकाजी
21. गोमली पुत्री सकाजी
22. ओगडराम पुत्र वालाजी
23. नगाराम पुत्र वालाजी
24. कन्या पुत्री वालाजी
25. सुगनो पुत्री वालाजी
26. मंजू पुत्री वालाजी

जातिगण– जणवा चौधरी निवासी नारलाई तहसील देसूरी जिला – पाली

27. तहसीलदार, देसूरी भूमिधारी राज्य सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री सुधीर श्रीमाली अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 लगाय 26 एक पक्षीय कार्यवाही।

दिनांक– 6·7·2023

निर्णय (अन्तिम–डिक्री)

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र विधिक नोटिस की छूट हेतु धारा 80(2) सी.पी.सी. के अनुमति के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा ग्राम नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 2087 रकबा 1.0200 हेक्टर, खसरा नम्बर 2088 रकबा 1.0200 हेक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.0400 हेक्टर किस्म बारानी दोयम स्थित है।

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त आराजी में वादी की खातेदारी व कब्जासुद 1/12 वां हिस्सा विद्यमान है। प्रतिवादी संख्या 01 का 3/20 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/54 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 1/108 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/108 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 का 1/36 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 का 1/144 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 07 से 10 का 1/144 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/144 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/144 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 का 3/20 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 (14 के वारिसान) का 3/20 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 का 3/20 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 का 1/162 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 का 1/162 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 का 1/162 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19, 20 व 21 प्रत्येक का 1/54 – 1/54 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22 से 26 प्रत्येक का 3/100 – 3/100 वां हिस्सा खातेदारी व कब्जासुद निर्विवाद स्थित है। वादग्रस्त आराजी के खातेदारान वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से से संबंधित विवाद नहीं है तथा मौके पर भी सभी खातेदारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। वादग्रस्त आराजी में वादी की खातेदारी व कब्जासुद 1/12 वां हिस्सा विद्यमान हैं। वादग्रस्त आराजी मौके पर अलग–अलग खातेदारों में पिछले कई वर्षो से 30–40 वर्षो से विभक्त है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व मूल रूप से पूर्व के खातेदारों ने बेचान करने से वर्तमान वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार व काबिज काश्त है।

वादग्रस्त आराजी में वादी का पृथक काबिज काश्त पुराने दिपावारा बेरा के पास जाने वाले रास्ते पर संलग्न नक्शे में मार्क ए, बी, सी ,डी बरंग लाल पर वादी का वादग्रस्त आराजी के 1/12 वां हिस्सा पर कब्जा निर्विवाद विद्यमान है। मौके पर वादी की पृथकतः बाड, काश्त मार्क ए, बी, सी, डी भाग बरंगलाल पर विद्यमान है। इसी प्रकार अन्य सहखातेदारान प्रतिवादीगण का भी अपने–अपने हिस्से की पृथक–पृथक जमीन पर बाड, कब्जाकाश्त एवं कुछ प्रतिवादीगण के मकानात, प्लोट्स भी मौके पर वर्तमान में निर्विवाद रूप से विद्यमान है लेकिन वादग्रस्त आराजी का आज तक राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त दर्ज है। कई प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी रेवेन्यु होने के बावजूद मकानात बनाये है। पक्षकारान के मध्य परस्पर कोई विवाद मौके पर नहीं है। वादी अपने हिस्से की एवं पृथक कब्जा काश्त की भूमि का पृथक राजस्व रिकॉर्ड कायम कर अपने हिस्से की भूमि मार्क ए, बी, सी, डी पर सुधार कार्य करवाना चाहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड पृथक करवाने हेतु निवेदन कि[illegible] परन्तु प्रतिवादीगण संख्या में

पेज लगातार 04 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

अधिक होने से एक साथ इकट्ठा होने से असमर्थ रहे. है। वादग्रस्त आराजी में वादी को अपनी खातेदारी व पृथक कब्जा सुद 1/12 वां हिस्सा मार्क ए, बी, सी, डी को कानूनी बंटवाडा के जरिये पृथक राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवाने का पूर्ण विधिक अधिकार है। वाद पत्र का वाद हेतुक वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदार होने से वादी व उसके पुत्र द्वारा प्रतिवादीगण को आराजी का कूननी रूप से राजस्व रिकॉर्ड कायम हेतु निवेदन करने के बावजूद प्रतिवादीगण एक साथ इकट्ठा होने में असमर्थ होने पर पिछले एक माह से कहने के बाद भी बंटवाडा कार्यवाही हेतु तत्परता एवं साथ नहीं देने पर वादी का वाद हेतुक विरूद्ध प्रतिवादीगण के उत्पन्न हुआ। अतः वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त आराजी में वादी की 1/12 वां हिस्सा भूमि का पूर्व से बंटवाडा अनुसार कानूनी बंटवाडा कराये जाने हेतू विरूद्ध प्रतिवादीगण के हस्ब धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण हाजा मे दिनांक–22.10.2019 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिकी इस आशय की जारी की गई कि– मौजा ग्राम नारलाई तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 2087 रकबा 1.0200 हेक्टर, खसरा नम्बर 2088 रकबा 1.0200 हेक्टर कुल रकबा 2.0400 हेक्टर किस्म बारानी दोयम सम्पूर्ण कृषि भूमि वादग्रस्त आराजी पूर्व से बंटवाडा अनुसार मौके पर कब्जा काश्त एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया जाकर वादी का 1/12 वां हिस्सा पृथक किये जाने की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। तहसीलदार देसूरी को निर्णय प्राथमिक डिकी मय डिकी पर्चा की प्रति तहरीर के साथ भेजकर बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार देसूरी बंटवाडा प्रस्ताव प्रत्येक पक्षकारों का दिये गये खसरों को भिन्न–भिन्न रंगों से दर्शाते हुए नक्शा न्यायालय में तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार देसूरी के पत्रांक/राजस्व/2022/1667 दिनांक 27.09.2022 द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट मय नजरी नक्शा के प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया गया। न्यायालय की राय में माफीक प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार वाद अंतिम डिकी योग्य है।

पेज लगातार 05 पर...

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

—: आदेश :—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा मौजा ग्राम नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 2087 रकबा 1.0200 हेक्टर, खसरा नम्बर 2088 रकबा 1.0200 हेक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.0400 हेक्टर किस्म बारानी दोयम का माफीक तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नजरी नक्शानुसार वाद में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती हैः—

क्र. स.	पक्षकार (वादी)	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)	किस्म	वि.वि.
1.	मांगीलाल पुत्र सालगरामजी जाति— साद सा.देह खातेदार	2088/1	0.17	बारानी दोयम	बंरग केसरिया मार्क ए. बी.सी. डी. अनुसार
	कुल	**01**	**0.17**	—	—
	(प्रतिवादीगण)				
2	सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 01 लगाए 26	2087	1.02	बारानी दोयम	बरंग हरा
		2088	0.85	बारानी दोयम	
	कुल	**02**	**1.87**	—	—

अतः उपरोक्तानुसार निर्णय एवं बंटवाडा की अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें। वादीगण के बंट हिस्सा व कब्जे में दखलदांजी करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 10.20 रूपयें का पांच

पेज लगातार 06 पर...

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

गुना पर देय मुद्रांक के बतौर रूपयें 100/- के नोन ज्यूडिश्यल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

(देवयानी) RAS
सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 6.7.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास श्रीमती देवयानी आर ए एस

<u>वादी</u> **ब ना म** **<u>प्रतिवादीगण</u>**

वादी	प्रतिवादीगण
मांगीलाल पुत्र सालगरामजी जाति–साद निवासी–नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली	1. रामाराम पुत्र मालाजी 2. केसा पुत्र चेलाजी 3. सूजा पुत्र वनाजी 4. धापू पत्नी वनाजी 5. पेमाराम पुत्र कानाजी जातिगण–जणवा चौधरी निवासी नारलाई 6. मोहनलाल पुत्र कूपाजी 7. सायरी पत्नी भंवरलालजी 8. मुकेश पुत्र भंवरलालजी 9. नीतु पुत्री भंवरलालजी 10. सविता उर्फ सतु पुत्री भंवरलालजी 11. जगदीश कुमार पुत्र कूपाजी 12. मांगीलाल पुत्र शंकरलालजी जातिगण कुम्हार निवासीगण नारलाई 13. हकाराम पुत्र मालाजी 14. मृत हीराराम पुत्र मालाजी के वारिसान 14/1– गजरो पत्नी स्व. हीरारामजी 14/2– मीठालाल पुत्र स्व. हीरारामजी 14/3– अंसकी पुत्री स्व. हीरारामजी 14/4– पोनकी पुत्री स्व. हीरारामजी 15. लादाराम पुत्र मालाजी 16. मगाराम पुत्र उदाजी 17. चेनाराम पुत्र उदाजी 18. खरताराम पुत्र उदाजी 19. मृत चेनकी पुत्री सकाजी के वारिसान 19/1– फुई पुत्री चेनकी पत्नी भगारामजी 20. केसरी पुत्री सकाजी 21. [illegible] पुत्री सकाजी [illegible] पुत्र वालाजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

	23. नगाराम पुत्र वालाजी 24. कन्या पुत्री वालाजी 25. सुगनो पुत्री वालाजी 26. मंजू पुत्री वालाजी जातिगण— जणवा चौधरी निवासी नारलाई तहसील देसूरी जिला — पाली 27. तहसीलदार, देसूरी भूमिधारी राज्य सरकार

दावा बाबत 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :— 18/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री सुधीर कुमार श्रीमाली मुदई प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 26 एक पक्षीय मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद ग्राम— नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 2087 रकबा 1.0200 हेक्टर, खसरा नम्बर 2088 रकबा 1.0200 हेक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.0400 हेक्टर किस्म बारानी दोयम का मांफीक तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नजरी नक्शानुसार वाद में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है:—

क्र. स.	पक्षकार (वादी)	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)	किस्म	वि.वि.
1.	मांगीलाल पुत्र सालगरामजी जाति—साद, सा.देह खातेदार	2088/1	0.17	बारानी दोयम	बंरग केसरिया मार्क ए.बी. सी.डी. अनुसार
कुल		**01**	**0.17**	—	—
	(प्रतिवादीगण)				
2	सम्पूर्ण प्रतिवादीगण संख्या 01 लगाए 26	2087 2088	1.02 0.85	बारानी दोयम बारानी दोयम	बरंग हरा
कुल		02	[illegible]	—	—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें। वादीगण के बंट हिस्सा व कब्जे में दखलदांजी करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 07 सन् 2023 को जारी किया गया।

मोहर

(देवयानी) RAS
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस गवाहन			बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक		
फीस कमीश्नर			मिजान		
बाबत इजराय हुक्म नामा					
मिजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 18:06:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner